वार्षिक रिपोर्ट
2016–17

2

अध्याय

संगठनात्मक ढांचा और कार्य

संगठनात्मक ढांचा और कार्य

विजन

कोयला मंत्रालय का मुख्य उद्देश्य कोयले की उपलब्धता हासिल करने हेतु इसके विजन से जुड़ा है जिससे अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की मांग को पर्यावरण के अनुकूल और स्थायी तरीके से पूरा करने के लिए कोयले की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके तथा सरकारी कंपनियों के माध्यम से उत्पादन में तेजी लाने और अत्याधुनिक, स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकियों द्वारा कैप्टिव खनन प्रमाणिक संसाधनों को बढ़ाने पर बल देते हुए अन्वेषण प्रयासों में वृद्धि करने तथा कोयले की तत्काल निकासी हेतु आवश्यक संरचना का विकास करने के समग्र मिशन को पूरा किया जा सके।

उद्देश्य

- कोयला उत्पादन तथा आफटेक, ओबीआर हटाने, लिग्नाइट उत्पादन तथा लिग्नाइट आधारित विद्युत उत्पादन के लिए वार्षिक कार्य योजना लक्ष्यों को प्राप्त करना सुनिश्चित करना।
- कोयला तथा धुले हुए कोयले के उत्पादन में तेजी लाने हेतु अवसंरचना विकास
- पर्यावरणीय कठिनाइयों को कम करने हेतु प्रौद्योगिकी की लिवरेजिंग
- अत्याधुनिक अनुसंधान तथा विकास पहलें
- संसाधन आधार में वृद्धि करने हेतु अन्वेषण में वृद्धि
- ग्राहक सेवाओं में गुणवत्ता और विश्वसनीयता
- अंतरमंत्रालयी मुद्दों में तेजी से तथा संयुक्त रूप से समाधान
- कोल इंडिया की क्षमता में सुधार
- निजी निवेश आकर्षित करना
- पारदर्शी तरीके से कोयला ब्लॉकों का आबंटन

कोयला मंत्रालय के कार्य

कोयला मंत्रालय का सरोकार भारत में कोयला तथा लिग्नाइट भंडारों के अन्वेषण, विकास तथा दोहन से संबंधित है। कोयला मंत्रालय को समय–समय पर संशोधित भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियम, 1961 के अनुसार आबंटित कार्य (अधीनस्थ अथवा स्वायत्त संगठनों तथा संबद्ध विषयों से जुड़े पीएसयू) में निम्नलिखित शामिल हैं:–

(i) भारत में कोकिंग कोयला और नान कोकिंग कोयला तथा लिग्नाइट भंडारों का अन्वेषण, विकास तथा दोहन।

(ii) कोयले का उत्पादन, आपूर्ति, वितरण तथा कीमत निर्धारण से संबंधित सभी मामले।

(iii) ऐसी कोयला वाशरियों को छोड़कर जिनके लिए इस्पात विभाग जिम्मेदार है, कोयला वाशरियों का विकास और प्रचालन।

(iv) कोयले का निम्न तापीय कार्बनीकरण तथा कोयले से संश्लिष्ट तेल का उत्पादन।

(v) कोयला गैसीकरण से संबंधित सभी कार्य।

(vi) कोयला खान (संरक्षण और विकास) अधिनियम, 1974 (1974 का 28) का प्रशासन, कोयला खान भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1948 (1948 का 46) का प्रशासन, खानों से उत्पादित और प्रेषित किए गए कोक और कोयला पर उत्पाद–शुल्क की उगाही और संग्रहण के लिए खान अधिनियम, 1952 (1952 का 32) के अंतर्गत नियम और बचाव निधि का प्रशासन, कोयलाधारी क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) का प्रशासन, खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) तथा अन्य संघीय कानूनों का प्रशासन, जहां तक उक्त अधिनियम और कानूनों का संबंध कोयला और लिग्नाइट तथा रेत भराई और ऐसे प्रशासन से संबंधित कार्य, जिसमें विभिन्न राज्यों से संबंधित प्रश्न शामिल हैं, कोयला खान राष्ट्रीयकरण अधिनियम, 1973 (1973 का 26) का

प्रशासन, कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 का प्रशासन आदि।

संगठन ढांचा

कोयला मंत्रालय के सचिवालय के प्रमुख सचिव हैं, जिनकी सहायता के लिए एक अपर सचिव, पांच संयुक्त सचिव (वित्तीय सलाहकार सहित), एक परियोजना सलाहकार, एक आर्थिक सलाहकार, 12 निदेशक/उप सचिव/संयुक्त निदेशक, 11 अवर सचिव, 21 अनुभाग अधिकारी, दो सहायक निदेशक, एक लेखा नियंत्रक, एक उप लेखा नियंत्रक, दो वरिष्ठ लेखा अधिकारी तथा चार सहायक लेखा अधिकारी तथा उनके सहायक कर्मचारी हैं। कोयला मंत्रालय के संगठन से संबंधित चार्ट अनुबंध–II पर दिया गया है।

अधीनस्थ तथा स्वायत्त संगठन

कोयला मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कोयला नियंत्रक संगठन (सीसीओ) का कार्यालय – एक अधीनस्थ कार्यालय है तथा कोयला खान भविष्य निधि संगठन (सीएमपीएफओ) – एक स्वायत्त संगठन है।

सार्वजनिक क्षेत्र/संयुक्त क्षेत्र की कंपनियां

कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल)

कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) एक ''महारत्न'' कंपनी है जिसका मुख्यालय कोलकाता, पश्चिम बंगाल में है। सीआईएल विश्व में कोयला उत्पादन करने वाली एक मात्र सबसे बड़ी कंपनी तथा 01 दिसंबर, 2016 की स्थिति के अनुसार 3,14,906 जनशक्ति सहित सबसे बड़ा नियोक्ता कारपोरेट है। कोल इंडिया लिमिटेड के पास 413 खानें (01 अप्रैल, 2016 की स्थिति के अनुसार) हैं जिनमें से 207 भूमिगत, 176 ओपनकास्ट और 30 मिश्रित खानें हैं।

कोल इंडिया एक होल्डिंग कंपनी है जिसकी सात पूर्ण स्वामित्व वाली कोयला उत्पादक सहायक कंपनियां तथा एक खान योजना एवं कंसलटेंसी कंपनी है। इसके नियंत्रण में कोयला भंडारों की पहचान, विस्तृत अन्वेषण तथा डिजाइन और कार्यान्वयन और इसकी खानों में कोयला निकासी हेतु प्रचालन को ईष्टतम करना है। पहली बार कोल इंडिया का उत्पादन (538.75 मि.टन) तथा ऑफटेक (534.50 मि.ट.) 2015–16 के दौरान आधे बिलियन टन से अधिक रहा है। कोल इंडिया ने वर्ष 2015–16 के दौरान सकल बिक्री के संबंध में 1.0 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े (1,08,150.03 करोड़) को पार किया है।

सीआईएल की सहायक कंपनियां निम्नलिखित हैं:–

- ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल), सैंक्टोरिया, पश्चिम बंगाल
- भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल), धनबाद, झारखंड
- सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल), रांची, झारखंड
- साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल), बिलासपुर, छत्तीसगढ़
- वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (डब्ल्यूसीएल), नागपुर, महाराष्ट्र
- नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल), सिंगरौली, मध्य प्रदेश
- महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल), संबलपुर, ओड़िसा
- सेन्ट्रल माइन प्लानिंग और डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड (सीएमपीडीआईएल), रांची, झारखंड, कंसलटेंसी कंपनी है।

नार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स (एनईसी) मार्घरिटा, असम में प्रचालनरत एक छोटी कोयला उत्पादन ईकाई है जो सीआईएल के प्रत्यक्ष प्रचालन नियंत्रण में है।

कोल इंडिया के प्रमुख उपभोक्ता हैं विद्युत और इस्पात क्षेत्र। इसके अलावा अन्य क्षेत्रों में सीमेंट, उर्वरक, ब्रिक किल्न तथा छोटे उद्योग आदि शामिल हैं।

सिंगरैनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल)

- सिंगरैनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) तेलंगाना सरकार तथा भारत सरकार का एक संयुक्त उद्यम है जिसमें क्रमशः 51:49 के अनुपात में इक्विटी भागीदारी है। एससीसीएल का प्राणहिता– गोदावरी घाटी में 10128 मिलियन टन प्रामाणिक भंडार है। एससीसीएल वर्तमान में लगभग 56,886 श्रमशक्ति सहित तेलंगाना के छह जिलों में 16 ओपनकास्ट तथा 30 भूमिगत खानें प्रचालित कर रही है। ओडिशा के अंगुल जिले में अगस्त, 2015 में एससीसीएल को नैनी कोयला ब्लॉक आबंटित किया गया था जिसके लिए खनन पूर्व कार्यकलाप चल रहे

हैं। तेलंगाना राज्य के भद्राद्री जिले में स्थित पेनागड्डप्पा कोयला ब्लॉक 15 दिसंबर, 2016 को एससीसीएल को आबंटित किया गया है।

नेयवेली लिग्नाईट कारपोरेशन इंडिया लिमिटेड (एनएलसीआईएल)

नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन इंडिया लिमिटेड एक ''नवरत्न'' कंपनी है जिसका पंजीकृत कार्यालय चेन्नई में तथा कारपोरेट कार्यालय नेयवेली, तमिलनाडु में है जो कि ऊर्जा क्षेत्र में सार्वजनिक उपक्रमों में अग्रणी है। एनएलसी निम्नलिखित का प्रचालन करती है:–

- नेयवेली में 28.5 मि.टन. प्रतिवर्ष की कुल क्षमता से तीन ओपनकास्ट लिग्नाइट खानें तथा बरसिंगसर, राजस्थान में 2.1 मि.टन. प्रति वर्ष की क्षमता से एक ओपनकास्ट लिग्नाइट खान।
- नेयवेली में 2990 मे.वा. की कुल स्थापित क्षमता सहित चार तापीय विद्युत स्टेशन तथा बरसिंगसर राजस्थान में 250 मेवा की कुल स्थापित क्षमता सहित एक तापीय विद्युत स्टेशन।
- काझानीरकुल, तिरुनेलवेली जिला, तमिलनाडू में 43.5 मेवा क्षमता वाली 29 डब्ल्यूटीजी (1.5 मेवा. 29) की 51 मेवा विड पावर परियोजना नवबंर 2016 में चालू की गई है।
- एनएलसी तमिलनाडु पावर लि. (एनटीपीएल), एनएलसी तथा टीएनजीईडीसीओ का एक संयुक्त उद्यम (89:11 के अनुपात में इक्वीटी भागीदारी) के माध्यम से टुटीकोरीन, तमिलनाडु में 500 मे.वा. की क्षमता की दो इकाइयों सहित कोयला अधारित ताप विद्युत परियोजना चालू की गई है।
- नवंबर, 2016 में एनएलसी इंडिया लि. की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 4293.5 मे.वा. थी।

नेयवेली में 03 थर्मल पावर स्टेशन (TPP) और 03 खानें आईएसओ 14001 (पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली), आईएसओ 9001 (गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली) और ओएचएसएएस 18001 (व्यावसायिक स्वास्थ्य तथा सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली) प्रमाणित हैं। एनएलसीआईएल की उत्पादन वृद्धि बनी हुई है और भारत के सामाजिक तथा आर्थिक विकास में इसका पर्याप्त योगदान है।

कोयला नियंत्रक का संगठन (सीसीओ)

कोयला नियंत्रक संगठन (सीसीओ), कोयला मंत्रालय का एक अधीनस्थ कार्यालय है और इसका मुख्यालय कोलकाता में है और धनबाद, राँची, बिलासपुर, नागपुर सम्बलपुर, कोठागुदेम और आसनसोल में इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं। प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय में एक जीएम/डीजीएम स्तर के कार्यपालक अधिकारी और उनकी सहायता के लिए अन्य तकनीकी अधिकारी होते हैं। चयनित खानों में गुणवत्ता की जांच करने के लिए निरीक्षण करने के अलावा, क्षेत्रीय अधिकारी कोयला गुणवत्ता से संबंधित विशिष्ट आदेशों के साथ अनुपालन सुनिश्चित करने और सांविधिक शिकायतों का समाधान करने के लिए नियमित निरीक्षण भी करते हैं। उपरोक्त गुणवत्ता सर्वेक्षण के अलावा, क्षेत्रीय अधिकारियों को कोयला खान (संरक्षण एवं विकास) नियम, 1975 (2011 में संशोधित) के अंतर्गत सीसीडीए सहायता से संबंधित क्षेत्रीय कार्य; कोलियरी नियंत्रण नियम, 2004 के अंतर्गत खानों की सीमों को खोलने/फिर से खोलने की अनुमति और कोयला कंपनियों के साथ समन्वय भी सौंपा गया है। इसके अलावा, चार विशेष कार्य अधिकारियों को क्षेत्रीय कार्यालयों का समन्वय करने के लिए कोयला नियंत्रक का संगठन, कोलकाता में तैनात किया गया है। यह कार्यालय एनईसी कमान क्षेत्र की कोयला खानों का कार्य भी देखता है तथा कोयला नियंत्रक की विभिन्न मामलों में सहायता भी करता है।

कोयला नियंत्रक के कार्यालय में एक पूर्ण सांख्यिकीय स्कन्ध है जिसमें दो आईएसएस अधिकारी तथा अन्य सहयोगी स्टाफ हैं जो नियमित आधार पर कोयला सांख्यिकियों के एकत्रीकरण, समेकन एवं प्रकाशन के लिए उत्तरदायी है। सीसीओ, भारत सरकार में कोयला सांख्यिकियों का एक प्रमुख स्रोत है।

सीसीओ की सहायता हेतु एक निदेशक, उप निदेशक, उप सहायक कोयला नियंत्रक तथा अन्य कार्मिक हैं जो सीसीओ को रेत भराई पर उत्पादन शुल्क की उगाही एवं अन्य तकनीकी तथा प्रशासनिक कार्यों में सहायता प्रदान करते हैं।

विशेष कार्य अधिकारी तथा उप–सहायक कोयला नियंत्रक गुणवत्ता संबंधी मामलों, खान खोलने संबंधी अनुमति देने, केप्टिव कोयला ब्लॉकों, एस्क्रो लेखों को खोलने, न्यायिक मामलों से निपटने, रेत भरायी संबंधी उत्पादन शुल्क के संग्रह की निगरानी करने, सीसीडीए, गुणवत्ता सर्वेक्षण, भुगतान आयुक्त से संबंधित कार्यों आदि की निगरानी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

कोयला नियंत्रक का संगठन विभिन्न संविधियों से उत्पन्न विभिन्न सांविधिक कार्य करता है :

(i) कोलियरी नियंत्रण नियम, 2004

(ii) कोयला खान (संरक्षण और विकास) अधिनियम, 1974 और कोयला खान (संरक्षण और विकास) नियम, 1975 (2011 में संशोधित)।

(iii) सांख्यिकी एकत्रीकरण अधिनियम, 2008 और सांख्यिकी एकत्रीकरण (केंद्रीय) नियम, 2011

(iv) कोयला धारी क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) ।

इसके अलावा कोयला नियंत्रक संगठन निम्नलिखित कार्य भी करता है:

(क) कोयला ब्लॉकों (निधानित और आबंटित) की निगरानी।

(ख) वाशरियों की मानीटरिंग।

(ग) खान बंद करने संबंधी योजनाओं की प्रस्तुति पर अनुवर्ती कार्रवाई करना तथा विभिन्न कोयला/लिग्नाइट कंपनियों के साथ एस्क्रो लेखा करार पर हस्ताक्षर करने हेतु भारत सरकार की ओर से एक मात्र प्रतिनिधि के रूप में कार्य करना।

01 अप्रैल, 2016 से 31 दिसंबर, 2016 तथा 1 जनवरी, 2017 से 31 मार्च, 2017 तक (अनंतिम) की अवधि के दौरान कोयला नियंत्रक संगठन द्वारा निष्पादित कार्य का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:–

(1) कोयला खानों को खोलने तथा पुनः खोलने के लिए अनुमति प्रदान करना

कोयला नियंत्रक संगठन ने 01 अप्रैल, 2016 से 31 दिसंबर, 2016 के दौरान 18 कोयला/लिग्नाइट खानों को खोलने तथा पुनः खोलने को अनुमति प्रदान की गई है और 01 जनवरी, 2017 से 31 मार्च, 2017 की अवधि में 10 (अनंतिम) खानों को खोलने/पुनः खोलने की अनुमति प्रदान करने की संभावना है।

(2) कोयलाधारी क्षेत्र (अधिग्रहण एवं विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 8 के अंतर्गत मामलों का निपटान

01 अप्रैल, 2016 से 31 दिसंबर, 2016 की अवधि के दौरान कोयला नियंत्रक ने सीबीए अधिनियम, 1957 की धारा 8 के अंतर्गत 10 अधिसूचनाओं के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत की है। तथा 1 जनवरी, 2017 से 31 मार्च, 2017 की अवधि में को अनंतिम आंकड़ा 04 अधिसूचनाएं हैं।

(3) कोयला नमूने एकत्रित एवं विश्लेषित, सांविधिक शिकायतें प्राप्त एवं निपटान

कोलियरी नियंत्रण नियम (सीसीआर), 2004 तथा कोयला खान (सरंक्षण और विकास) संशोधन नियम, 2011 के अंतर्गत कोयला नियंत्रक कोलियरियों से प्रेषित कोयले की गुणवत्ता की मॉनिटरिंग करता है तथा उपभोक्ताओं की गुणवत्ता से संबंधित शिकायतों का भी निपटान करता है।

31–12–2016 तक 08 सांविधिक शिकायतें प्राप्त हुईं हैं और मामलों के समाधान हेतु कार्रवाई की गई है। 01–04–2016 से 31–12–2016 तक के दौरान मैसर्स सीआईएमएफआर और मैसर्स एनएमएल के जरिए आउट सोर्सिंग सहित सीसीओ द्वारा ग्रेड के पुनर्मूल्यांकन हेतु सीआईएल और एससीसीएल की विभिन्न सहायक कंपनियों में 837 मामलें सेंपलिंग और विश्लेषण कार्य किया।

(4) उत्पाद शुल्क का संग्रहण

एक अप्रैल 2016 से 31 दिसंबर, 2016 = 460.155 करोड़ रु.

1 जनवरी, 17 से 31 मार्च, 17 तक संभावित संग्रहण = 140 करोड़ रु.

(5) कोयला सांख्यिकी का संग्रहण, समेकन तथा प्रकाशन

कोयला तथा लिग्नाइट के उत्पादन और प्रेषण के विभिन्न मानदंडों के संबंध में संग्रहण, समेकन, प्रकाशन तथा आंकड़ों के प्रसार के लिए एकमात्र एजेंसी होने के नाते सीसीओ केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, आरबीआई, डीआईपीपी, भारतीय खान ब्यूरो तथा अन्य राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को मासिक आंकड़े उपलब्ध कराता है। यह वार्षिक कोयला निर्देशिका तथा अनंतिम कोयला सांख्यिकी भी प्रकाशित करता है। कोयला निर्देशिका, 2014–15 तथा अनंतिम कोयला सांख्यिकी, 2015–16 पहले ही वर्ष 2016–17 में प्रकाशित की जा चुकी हैं। कोयला निर्देशिका 2015–16 का कार्य चल रहा है।

(6) कोयला ब्लॉकों की मॉनिटरिंग तथा प्रगति

कोयला नियंत्रक का कार्यालय सीएमडीपीए के अनुसार प्रस्तुत किए जाने हेतु केप्टिव कोयला ब्लॉकों के दक्षता प्राचलों के संबंध में सूचना एकत्र करता है तथा रिपोर्टों को समेकित करता है। यह पहले आबंटित कोयला ब्लॉकों से संबंधित बैंक गारंटियों के मामलों की मॉनीटरिंग भी करता है और आईएमजी तथा अन्य बैठकों के लिए मंत्रालय द्वारा यथा अपेक्षित रिपोर्टें भेजता है।

(7) खान बंद करने संबंधी योजना तथा एस्क्रो लेखा करार का अनुपालन

कोयला नियंत्रक कार्यालय को अनुमोदित खान बंद करने संबंधी योजना (प्रगामी तथा अंतिम) के अनुसार खनन क्षेत्रों की खान बंद करने संबंधी कार्यकलापों के कार्यान्वयन एवं मॉनिटरिंग करने तथा पूर्ण सुरक्षा क्षेत्र फेंसिंग, संरक्षा एवं पुनरुद्धार कार्यों पर हुए व्यय के संबंध में सीएमपीडीआईएल /एनईईआरआई/ आईएसएम जैसी सरकारी अधिसूचित संस्थानों से प्रमाणीकरण का कार्य करने तथा खान बंद योजना तैयार करने हेतु कोयला मंत्रालय के दिनांक 07.01.2013 के दिशा–निर्देशों के प्रावधान के अंतर्गत अनुमोदित खान बंद योजना के अनुसार वार्षिक खान बंद करने संबंधी लागत, जहां कोयला नियंत्रक अनन्य रूप से लाभार्थी होगा, जमा करने हेतु किसी अधिसूचित बैंक में मियादी जमा एस्क्रो खाता खोलने का कार्य सौंपा गया है।

वर्ष 2016–17 के दौरान (दिसंबर, 2016 तक) 28 कोयला तथा लिग्नाइट खानों के लिए सरकार तथा निजी कंपनियों में एस्क्रो खाता खोलने के लिए कुल 28 त्रिपक्षीय एस्क्रो करार निष्पादित किये गए थे। 28 खानों में से 05 कोयला खानें सीआईएल/ सहायक कंपनियों के अंतर्गत, 18 खानें एससीसीएल के अधीन तथा 14 कैप्टिव कोयला खानें और 1 लिग्नाइट खानें हैं।

वर्ष 2016–17 (31 दिसंबर, 2016 तक) के दौरान अधिसूचित बैंकों में एस्क्रो खाते में जमा की गई मूल राशि 883.31 करोड़ रु. (अनंतिम) थी।

प्रारंभ से लेकर 31 दिसंबर, 2016 तक 525 कोयला तथा लिग्नाइट खानों को कवर करते हुए कोयला/लिग्नाइट कंपनियों और अधिसूचित बैंकों तथा सीसीओ के बीच 500 त्रिपक्षीय एस्क्रो खाता करार निष्पादित किए गए हैं। 31 दिसंबर, 2016 तक एस्क्रो खाते में ब्याज सहित जमा की गई कुल राशि 5252.52 करोड़ रु. (अनंतिम) है।

वर्ष 2016–17 के दौरान (31.12.2016 तक) एस्क्रो खाते खोलने तथा उसमें वार्षिक क्लोजर लागत जमा करने की स्थिति :–

क्र.सं.	31.12.2016 तक सीसीओ के साथ हस्ताक्षरित त्रिपक्षीय एस्क्रो करारों की संख्या	खानों की संख्या जिनके लिए एस्क्रो खातों पर हस्ताक्षर किया गया	वर्ष 2016–17 (दिसंबर, 2016 तक) के लिए एस्क्रो खाते में जमा की गई राशि (करोड़ रु. में)	प्रारंभ से 31.12.2016 तक एस्क्रो खाते में जमा की गई कुल राशि (करोड़ रु. में)
1.	500	525	855.31	5252.52

(8) भुगतान आयुक्त के रूप में कार्य

कोकिंग कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 तथा कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 के अनुसरण में वर्ष 1972–73 में राष्ट्रीयकृत कोयला खानों के पूर्व मालिकों की देयताओं के निपटान के लिए राशि के भुगतान के प्रयोजन हेतु धनबाद तथा कोलकाता में भुगतान आयुक्त (सीओपी) के दो कार्यालय स्थापित किये गए थे। धनबाद कार्यालय में अधिकांश मामलों को निपटाने के पश्चात उस कार्यालय को बंद कर दिया गया था तथा शेष कार्यों को भुगतान आयुक्त कार्यालय, कोलकाता को 1987 में अंतरित कर दिया गया था।

तत्पश्चात, आर्थिक सुधार आयोग (ईआरसी) की सिफारिशों के अनुसरण में भुगतान आयुक्त, कोलकाता कार्यालय को 6 जून, 2007 से बंद कर दिया गया है। भुगतान आयुक्त कार्यालय, कोलकाता के शेष कार्यों को कोयला नियंत्रक कार्यालय को अंतरित कर दिया गया है। वर्तमान में कोयला नियंत्रक पदेन भुगतान आयुक्त के रूप में कार्य कर रहा है।

कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 के अंतर्गत भुगतान आयुक्त को नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी, कोयला मंत्रालय द्वारा उन्हें देय मुआवजा राशि के वितरण के लिए नियुक्त किया गया है। वर्ष 2015–16 और 2016–17 (दिसंबर, 2016 तक) के दौरान किए गए भुगतानों का ब्यौरा इस प्रकार है:–

वर्ष	वितरित राशि रु. में
2015-16	82,39,39,830/-
2016-17 (दिसंबर, 2016 तक)	912,08,42,669/-

सीओपी का निष्पादन निम्नानुसार है:–

क्र. स.	विवरण	कोकिंग कोल खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972	कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973
1	केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीयकृत कोलियरियों की संख्या और भुगतान आयुक्त द्वारा खोले गए तदनुरूपी कोलियरी खाते	226	711
2	31.03.2016 तक बंद कोलियरी खातों की संख्या	187	627
3	अप्रैल, 2016 से दिसंबर, 2016 (2016–17) के दौरान बंद कोलियरी खातों की संख्या	शून्य	शून्य
4	31.0..2016 तक अभी बंद किये जाने वाले कोलियरी खातों की संख्या	39	84
5	2016.17 (दिसंबर, 17 तक) के दौरान भुगतान की गई मुआवजा राशि	शून्य	शून्य
6	31.12.2016 की स्थिति के अनुसार भुगतान हेतु शेष राशि	386.21 लाख रु.	333.43 लाख रु.

कोयला खान भविष्य निधि संगठन (सीएमपीएफओ))

कोयला खान भविष्य निधि संगठन (सीएमपीएफओ) एक स्वायत्त निकाय है जिसकी स्थापना कोयला खान भविष्य निधि तथा विविध उपबंध अधिनियम, 1948 में की गई थी और इसका कार्य कोयला खान भविष्य निधि स्कीम, 1948, कोयला खान बीमा स्कीम से संबंद्ध निक्षेप, 1976 तथा कोयला खान पेंशन स्कीम, 1998 को लागू करना है। इन तीन स्कीमों का परिचालन त्रिपक्षीय न्यासी बोर्ड द्वारा किया जाता है जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों तथा कर्मचारियों के प्रतिनिधि होते हैं। सीएमपीएफओ का मुख्यालय धनबाद में है और देश में कोयला उत्पादक सभी राज्यों में इसके 24 क्षेत्रीय कार्यालय हैं।

31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार सीएमपीएफओ द्वारा लगभग 4.60 लाख भविष्य निधि दाताओं को तथा 4.50 लाख पेंशनभोगियों को सेवाएं दी जाती हैं।

कोयला खान भविष्य निधि स्कीम

वित्त वर्ष 2016–17 के अंत में निजी क्षेत्र में कार्यरत कोक संयंत्रों को छोड़कर इस स्कीम के अंतर्गत आने वाली कोयला खानों तथा कार्यालय एककों की कुल संख्या 899 (01.04.2016 से 31.12.2016 तक) है। 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार लगभग 4.60 लाख व्यक्ति भविष्य निधि स्कीम 1948 के जीवित सदस्य हैं।

वर्ष 2016–17 अर्थात 01.04.2016 से 31.12.2016 तक के दौरान स्वैच्छिक अंशदान सहित कोयला खान भविष्य निधि अंशदान की रकम लगभग 4240.60 करोड़ रुपए थी। दिनांक 01.01.2017 से 31.03.2017 के दौरान कोयला खान भविष्य निधि में 1416.87 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त होने का अनुमान है। इस प्रकार अंशदान की कुल राशि बढ़कर लगभग 41,900 करोड़ रुपए हो जाएगी। निधि में मौजूद पूरी रकम का निवेश वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित दिशा–निर्देशों के अनुसार किया जाता है। दिसंबर, 2016 तक कुल 68700.08 करोड़ रुपए का निवेश (16,522.50 करोड़ रुपए के एसडीएस निवेश सहित) है। वृद्धिकारक निवेश (अंकित मूल्य) 01.04.2016 से 31.12.2016 तक 4777.96 करोड़ रुपए है तथा 01.01.17 से 31.03.17 तक यह निवेश की राशि लगभग 3720.04 करोड़ रुपए होने का अनुमान है।

2016–17 के दौरान सदस्यों के अंशदान की राशि पर 8.60 प्रतिशत की वार्षिक दर से अनंतिम ब्याज देने की अनुमति दी गई है।

वर्ष 2016–17 (31.03.2017 तक) के दौरान अदा किए गए अग्रिमों सहित भविष्य निधि से वापिस की गई राशि का ब्यौरा निम्नानुसार है:–

भविष्य निधि की वापसी और अग्रीम के मामले	निपटाए गए (01.04.2016 से 31.12.2016) तथा वितरित मामलों की संख्या#	निपटाए जाने वाले (01.01.2017 से 31.03.2017) तथा वितरित किए जाने वाले मामलों की अनुमानित संख्या#
भविष्य निधि वापसी मामले	20897	10400
विवाह अग्रिम शिक्षा अग्रिम गृह निर्माण अग्रिम	7747	3850
भविषय निधि तथा अग्रिम वितरित राशि	4710.26 करोड़ रुपए	1570.09 करोड़ रुपए

सभी आंकड़े अनंनतिम हैं।

सीएमपीएफओ स्कीम के प्रशासन की लागत की पूर्ति कोयला कंपनियों द्वारा सीएमपीएफओ को 03 प्रतिशत की दर से प्रदत्त प्रशासनिक प्रभार में से की जाती है।

कोयला खान के सभी कामगारों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ प्रदान करने पर बल देने के परिणामतः सीएमपीएफ/ईपीएफ अधिनियम के उपबंधों के अधीन संविदाकार के कामगारों को शामिल करने के परिणामतः कामगारों की संख्या 75044 (31.3.2016) से बढ़कर 82348 (31.12.2016) हो गई।

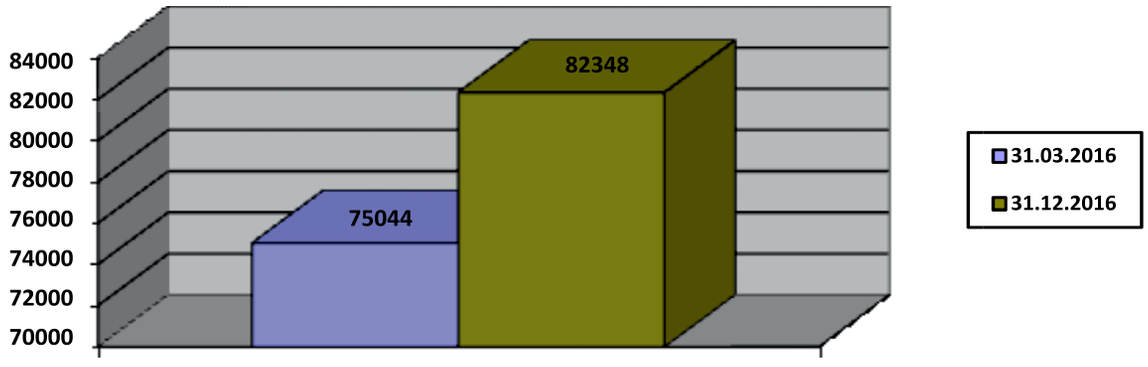

संविदाकार के कामगार

सतत प्रयासों तथा बार–बार की गई अनुवर्ती कार्रवाई के परिणामतः निपटान के लिए लंबित मामलों की संख्या में पर्याप्त कमी हुई है लेकिन नवंबर के महीने में नागपुर क्षेत्रीय कार्यालय (आर ओ) से पाथेरखेरा क्षेत्र को स्थानांतरित करने के कारण निपटान के लिए लंबित मामलों की संख्या में वृद्धि हुई है। भविष्य निधि वापसी के संबंध में लंबित मामलों में कमी–वृद्धि के रुझान का ब्यौरा निम्नलिखित सारणी में दिखाया गया है:–

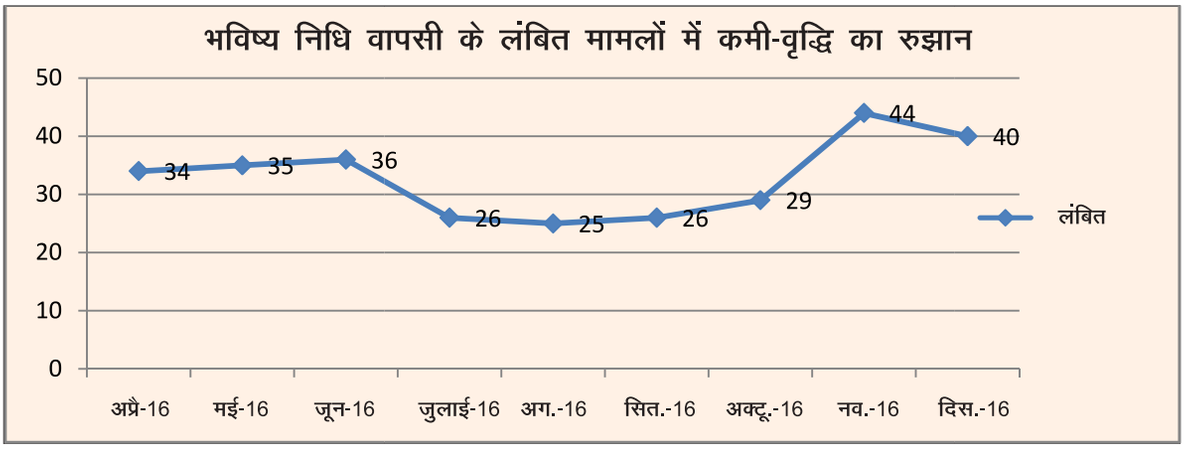

बीमा से संबद्ध कोयला खान निक्षेप स्कीम

सेवा के दौरान किसी कर्मचारी की मृत्यु के मामले में, जो कोयला खान भविष्य निधि स्कीम का सदस्य था, उसके द्वारा मनोनित व्यक्ति भविष्य निधि की राशि के अतिरिक्त पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान मृत व्यक्ति के खाते में औसत शेष राशि के बराबर पाने का अधिकारी है बशर्ते यह राशि 10,000 रुपए से अधिक न हो।

इस स्कीम के अनुसार कर्मचारियों को शामिल किए गए कार्मिकों की कुल मजदूरी के 0.5 प्रतिशत की दर से अंशदान करना होता है। केंद्र सरकार को भी इस स्कीम के अंतर्गत कर्मचारियों द्वारा अंशदान की गई राशि के आधी राशि के बराबर अंशदान करना होता है। इस समय इस स्कीम के प्रशासन की लागत को पूरा करने के लिए निजी क्षेत्र के नियोजक कुल मजदूरी के 0.1 प्रतिशत की दर से अंशदान करते हैं और केंद्र सरकार उसका 50 प्रतिशत अर्थात् कुल मजदूरी का 0.05 प्रतिशत की दर से अंशदान करती है।

सीआईएल के कार्यकारी संवर्ग के कर्मचारियों को उक्त स्कीम से प्रवर्तन से छूट प्राप्त थी। सीआईएल तथा इसकी सहायक कंपनियों के कामगारों को कोयला मंत्रालय द्वारा इस स्कीम के प्रवर्तन से पहले छूट दी गई थी।

कोयला खान पेंशन स्कीम, 1998:

कोयला खान पेंशन स्कीम 31.03.1998 से लागू हुई है। कोयला खान पेंशन स्कीम 1998 के अधीन 01.04.2016 से 31.12.2016 तक तथा 01.01.2017 से 31.03.2017 तक निपटाए गए/वितरित पेंशन के दावों की कुल संख्या निम्नानुसार है:

कोयला खान पेंशन स्कीम, 1998	निपटाए गए (01.04.2016 से 31.12.2016) तथा वितरित मामलों की संख्या#	निपटाए जाने वाले (01.01.2017 से 31.03.2017) तथा वितरित किए जाने वाले मामलों की अनुमानित संख्या #
पेंशन के निपटाए गए नए दामों की संख्या	21042	10500
वितरित धनराशि	1583.85 करोड़ रुपए	560.00 करोड़ रुपए

सभी आंकड़े अनंतिम हैं।

इस स्कीम के प्रावधानों के अनुसार इस योजना में शामिल होने का विकल्प देने वाले नए कर्मचारियों सहित पेंशन योजना के सदस्यों द्वारा जमा की जाने वाली राशि:

वर्ष 2016–17 के दौरान अर्थात सेवारत सदस्यों से प्राप्त निवल पेंशन अंशदान (31 दिसंबर, 2016 की स्थिति के अनुसार) 667 करोड़ रुपए है और 01 जनवरी, 2017 से 31 मार्च, 2017 तक की अवधि के दौरान यह राशि अनुमानतः 222.00 करोड़ रुपए होगी जिसके परिणामतः कुल अंशदान लगभग 1880.22 करोड़ रुपए का होगा (सरकार के अंशदान तथा ब्याज सहित).

कवरेजः–

क) ऐसे सभी कर्मचारी जो तत्कालीन कोयला खान परिवार पेंशन, 1971 के सदस्य थे और 31 मार्च, 1998 को कार्यरत थे।

ख) ऐसे सभी कर्मचारी से 31 मार्च, 1998 को अथवा उसके बाद नियुक्त हुए हैं।

ग) इस स्कीम को अपनाने वाले ऐसे सभी सदस्य जिन्होंने इस स्कीम के अंतगर्त विनिर्दिष्ट शर्त के साथ फार्म पीएस–1 तथा पीएस–2 में पेंशन निधि की सदस्यता का विकल्प दिया था।

घ) ऐसे सभी कर्मचारी जिनकी मृत्यु 01.04.1994 से 31.03.1998 तक की अवधि के दौरान सेवा में रहते हुए हुई उन्हें सा.का.नि. संख्या 521(v) दिनांक 12.08.2004 के द्वारा इस स्कीम के विकल्पधारी माना गया है।

लाभः–

क) मासिक पेंशन (अधिवार्षिता, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, सेवा से बाहर जाने पर)

ख) विकलांग पेंशन

ग) मासिक विधवा अथवा विधुर पेंशन

घ) बाल पेंशन

ड) अनाथ पेंशन

च) अनुग्रह भुगतान

सतत प्रयासों तथा बार–बार की गई अनुवर्ती कार्रवाई के परिणामतः निपटान के लिए लंबित मामलों की संख्या में पर्याप्त कमी हुई है लेकिन नवंबर के महीने में 2016 नागपुर क्षेत्रीय कार्यालय (आर ओ) से पाथेरखेरा क्षेत्र को छिंदवाड़ा क्षेत्रीय कार्यालय में स्थानांतरित करने के कारण निपटान के लिए लंबित मामलों की संख्या में वृद्धि हुई है। पेंशन मामलों के निपटान में लंबित मामलों में कमी–वृद्धि के रुझान का ब्यौरा निम्नलिखित सारणी में दिखाया गया हैः–